

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- जनवरी 29,2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 120 वाहनों का चालान, 16 वाहनों से कुल 15800/-रुपया शमन शुल्क वसूल किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 02 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

***गुण्डा अधिनियम में पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-**

***थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ***-अभियुक्त इस्माईल पुत्र रविजान सा0 धुसवा कला थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के ऊपर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/21 धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ***-अभियुक्तगण 1. संतराम केवट पुत्र राजबली सा0 बहदुरी जनपद महाराजगंज के ऊपर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/21 धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2. . प्रमोद सिंह पुत्र रामप्रताप सा0 बेलवा बुजुर्ग थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के ऊपर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/21 धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम में पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-**

***थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ***-अभियुक्त शर्मा पुत्र बुध्दिराम सा0 विशुनपुर थाना घुघली जनपद महाराजगंज के द्वारा 1800 घन फिट सफेद बालू अवैध रूप से खनन करने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-12/21 धारा- 4/21 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल-01 अभियोग को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी।

थाना सोहगीबरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त छोटेलाल पटेल पुत्र लक्ष्मण नि0 कोटहा थाना सोहगीबरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-01/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

*** विवेचनाओं का निस्तारण-*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-21 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 28/29-01-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 04 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।